न्यायालय सत्र न्यायाधीश, खंडवा (म.प्र.)

(पीठासीन–संजय शुक्ला)

Case No-CRR/66/2018
संस्थित दिनांक 18.07.2018

कुलदीप आयु 23 वर्ष पिता दुलीचंद राठौर
निवासी–पाटी, थाना पाटी, तहसील पाटी
जिला–बड़वानी (म.प्र.)।

.....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा मुख्य वनसंरक्षक खंडवा वन वृत्त खंडवा।
2– वन मंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल बड़वानी।
3– उप वनमंडलाधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी पाटी सामान्य वनमंडल बड़वानी।
4– वन परिक्षेत्र अधिकारी बोकराटा सामान्य वनमंडल बड़वानी।

.....प्रतिप्रार्थी/अभियोजन

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से	:– श्री घनश्याम चौहान, अधिवक्ता.
प्रतिप्रार्थी की ओर से	:– श्री बी.एल.मंडलोई, लोक अभियोजक.

:: आदेश ::

(आज दिनांक **22 सितम्बर, 2018** को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता कुलदीप ने मुख्य वन संरक्षक खंडवा वन वृत्त खंडवा के वन प्रकरण क्र. 3261/09 से व्युत्पन्न अपील कमांक 02/18 में दिनांक 25.06.2018 को पारित आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.02.2017 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मंशाराम वनरक्षक ने रोसर बीट तथा लिम्बी बीट के मध्य वाहन टाटा 407, वाहन क्र. एम.पी. 46 जी. 0565 को रोककर तलाशी ली थी, तब सोयाबीन, मक्का, बाजरा आदि अनाज के नीचे प्रतिबंधित तीन कट्टा (90 किलो) सलई गोंद पाया गया था जिसे जब्त कर, प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी पाटी के द्वारा उपरोक्त वाहन को राजसात करने की विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए

Scanned by CamScanner

दिनांक 14.12.2017 को आदेश पारित किए गए थे, जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने अपीलीय अधिकारी वनसंरक्षक खंडवा वृत्त, खंडवा के समक्ष अपील क्र. 2/2018 प्रस्तुत की थी, जो दिनांक 25.06.2018 के आदेश के द्वारा निरस्त की गई थी, उसी से व्यथित होकर प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. पुनरीक्षण आवेदन में आक्षेपित आदेश दिनांक 25.06.2018 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि पुनरीक्षणकर्ता का 30–35 सदस्यों का परिवार है, उसके परिवार में गणगौर पूजन में गुगल का हवन में उपयोग होता है, उसी हवन के लिए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ग्राम रोसर की साप्ताहिक बाजार से आदिवासियों के द्वारा विक्रय किए जा रहे गुगल (सलई गोंद) को क्रय किया गया था। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। सलई गोंद प्रतिबंधित भी नहीं है तथा जैव विविधता अधिनियम, 2002 में वाहन राजसात किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद अपीलीय अधिकारी वनसंरक्षक ने वाहन को राजसात किए जाने के आदेश पारित किए हैं, जो त्रुटिपूर्ण हैं। इसलिए, आवेदन स्वीकार कर आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

4. पुनरीक्षण आवेदन के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 25.06.2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के पर्याप्त आधार हैं ?

5. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पुनरीक्षण आवेदन में लिए गए आधारों के साथ–साथ अपीलीय अधिकारी एवं वनसंरक्षक के अभिलेख पर विचार किया गया। अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 07.02.2017 को मंशाराम कौशल बीट रोसर ने वाहन क्र. एम.पी. 46 जी. 0565 की तलाशी ली थी, जिसमें 3 कट्टों में 90 किलोग्राम ताजा गोंद (सलई गोंद) जब्त किया गया था। जॉच के उपरांत पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, की धारा–52 सपठित धारा–3, धारा–22 मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम–3 एवं 22 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्र. 3261/09 संस्थित कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी को निर्धारित प्रारूप में सूचनापत्र प्रेषित कर, वाहन को राजसात किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाहन को राजसात किए जाने के संबंध में दिनांक 14.12.2017 को आदेश पारित किए गए।

Scanned by CamScanner

6. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–2 (4) (क) में ''वनोपज'' को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ''गोंद'' को वनोपज की श्रेणी में रखा गया है। गोंद में सभी प्रकार के गोंद सम्मिलित हैं, जिसमें सलई गोंद भी आता है। इस प्रकार सलई गोंद भी वनोपज है। इसी वनोपज के संबंध में भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा 52 (एक) (1) में प्रावधान है :–

> ''जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आरक्षित वन और संरक्षित वन या वन–उपज के संबंध में कोई वन अपराध किया गया है, तब वन–उपज और समस्त औजार, नाव, यान, रस्सी, जंजीर या किन्हीं अन्य वस्तुओं को, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने में किया गया है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जा सकेगा.''

7. उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहन को प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी पाटी (सामान्य) के द्वारा जप्त वाहन कमांक एम.पी.46 जी 0565 को विधि अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी को लिखित में सूचित करते हुए अधिहरण की कार्रवाही की गयी थी।

8. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 76 तथा मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005 के नियम 5 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वनमंडल बड़वानी के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्रों में ''सलई प्रजाति गोंद' के संग्रहण को दिनांक 01.01.17 से 31.12.17 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित किये जाने हेतु दिनांक 30.01.17 को आदेश पारित किये गये थे परन्तु उक्त आदेश में सलई वृक्षों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना, वृक्षों को काटना, छांटना, घाव लगाना, गर्डल करना, छाल उतारना, जलाना आदि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत दंडनीय होना घोषित किया था। उक्त आदेश के अनुसार सलई वृक्षों से गोंद निकालना भी सलई वृक्षों को क्षति पहुंचाना माना जायेगा जिसके कारण उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत अपराध माना गया है।

9. अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख में संलग्न अनुलग्नक 04 के दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 (4), धारा 52 सपठित नियम 3 एवं 22 मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम,

Scanned by CamScanner

2000 के प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहन के अधिहरण की कार्रवाही प्रारंभ की गयी थी। मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 एवं 22 के प्रावधान के अनुसार बिना ट्रांजिट पास के वनोपज का अभिवहन नहीं किया जा सकता है जो प्रश्नगत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा किया जा रहा था तथा उसके पास इसके संबंध में कोई ट्रांजिट पास नहीं था। ऐसी परिस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के द्वारा उचित निष्कर्ष निकाला गया था कि जप्त वाहन का उपयोग प्रतिबंधित सलई गोंद के परिवहन के लिए किया जा रहा था इसलिए उसे अधिहरण करने का प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार था।

10. तर्क के दौरान व्यक्त किया गया था कि पुनरीक्षणकर्ता को गणगौर पूजन में हवन के लिए सलई गोंद की आवश्यकता थी। इसके संबंध में न्यायालय का मत है कि किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार के लिए हवन हेतु 90 किलो गोंद की क्यों आवश्यकता होगी क्योंकि हवन सामग्री में गोंद बहुत कम मात्रा में उपयोग में आता है। गोंद के अतिरिक्त हवन सामग्री में अन्य बहुत सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसी से प्रगट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा परिवार के लिए हवन हेतु 90 किलो सलई गोंद का परिवहन किया जाना सत्य नहीं है, मात्र बचाव के लिए ऐसा अभिवाक लिया गया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

11. पुनरीक्षण आवेदन में यह भी कहा गया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में वाहन अधिहरण किये जाने का कोई प्रावधान न होने के बावजूद वाहन को अधिहरित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। इस आपत्ति के संबंध में न्यायालय का मत है कि वाहन को जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान के अंतर्गत अधिहरित न करते हुए भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा 52 (एक) (1) के प्रावधान के अंतर्गत अधिहरित किया गया है इसलिए उठायी गयी आपत्ति आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

12. ऊपर की गयी विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा 90 किलो सलई गोंद का बिना ट्रांजिट पास के टाटा 407 वाहन कमांक एम.पी. 46 जी–0565 के द्वारा परिवहन किया जा रहा था जिसे भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2009 की धारा 52 (एक) (1) के प्रावधान के अंतर्गत अधिहरण करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी थी। इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 25.06.018 की शुद्धता, वैद्यता एवं औचित्यता के संबंध में कोई संशय नहीं है।

Scanned by CamScanner

13. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर विचारणीय प्रश्न को नकारात्मक रूप से निराकृत करते हुए दिनांक 25.06.2018 के आक्षेपित आदेश की पुष्टि कर पुनरीक्षण आवेदन निरस्त किया जाता है।

पुनरीक्षण आवेदन निरस्त।

मेरे निर्देश पर टंकित

दिनांक: 22.09.2018
मंडलोई

(संजय शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश
खंडवा (म.प्र.)

(संजय शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश, खण्डवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner